ऑस्ट्रेलिया तथा भारत गणराज्य के मध्य सोशल सिक्योरिटी समझौता

ऑस्ट्रेलिया की सोशल सिक्योरिटी प्रणाली

ऑस्ट्रेलिया की सोशल सिक्योरिटी प्रणाली अन्य विकसित देशों की प्रणालियों में से अधिकाँश से अलग है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की पेंशन का भुगतान, किसी सामाजिक बीमा फंड में व्यक्तियों और नियोक्ताओं द्वारा दिए गए पैसों में से नहीं बल्कि सरकारी सामान्य निधि में से किया जाता है। इस कारण से, ऑस्ट्रेलियाई पेंशनें आय तथा संपत्ति परीक्षण पर निर्भर होती हैं।

Department of Human Services द्वारा लोगों को ऑस्ट्रेलियाई सोशल सिक्योरिटी भुगतान प्रदान किये जाते हैं।

अगर आप एक पेंशन के लिए अनुरोध करना चाहते हैं तो आपको, अपनी - और कुछ मामलों में-आपके जोड़ीदार[1] की सारी आय और संपत्तियों के बारे में बताना होगा।

यह समझौता कैसे आपकी सहायता करता है?

इस समझौते के तहत, हो सकता है कि आप दोनों में से किसी भी एक देश से भुगतान के लिए अनुरोध कर सकते हैं या दोनों देशों के बीच स्थानांतरित होने पर अपना भुगतान पाना जारी रख सकते हैं। दोनों देशों से भुगतान पाने के लिए पात्रता हेतु, अगर जरुरी हो तो, इस समझौते के तहत आपको ऑस्ट्रेलिया में निवास की एक निश्चित अवधि[2] और भारत में बीमा की निश्चित अवधियों को संयोजित करने की अनुमति मिल सकती है।

ऑस्ट्रेलियाई भुगतान किसे मिल सकता है?

Age Pension

अगर आपकी उम्र पात्रता आयु से ज्यादा है (विवरण के लिए **humanservices.gov.au/agepension** पर जाएं), इस समझौते के अन्तर्गत हो सकता है कि आपको ऑस्ट्रेलियाई Age Pension मिल सके।

अगर आप अनुरोध करते समय ऑस्ट्रेलिया में नहीं रह रहे हों तो, 16 नवंबर 1995 से लेकर एज पेंशन की पात्रता आयु तक पहुँचने के बीच की अवधि में, आपका कम से कम 12 महीनों का Australian Working Life Residence[2] होना आवश्यक है।

आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी समय कितने भी दिनों तक रहे हों, अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया में कुल निवास अवधि और/या भारत में आपके बीमा की अवधि मिलाकर 10 साल से ज्यादा हो तो, हो सकता है कि आपको Age Pension मिल जाए। भारत में केवल 1 जनवरी 2016 के बाद की ही बीमा अवधियाँ काम में ली जानी चाहिए।

अगर आपको 10 साल का मानदण्ड पूरा करने के लिए भारत में 1 जनवरी 2016 के बाद से अपनी बीमा अवधि के किसी काल का उपयोग करना हो तो, 16 नवंबर 1995 से लेकर आपकी आयु 58 वर्ष कोने के बीच, आपका कम से कम 12 महीनों (6 महीनों तक लगातार निवास) का Australian Working Life Residence[2] होना जरुरी है।

हो सकता है कि, आपको भुगतान मिल सके उससे पहले, आपको कुछ अतिरिक्त आवश्यकतायें पूरी करनी पड़ें।

भारतीय भुगतान किसे मिल सकता है?

इस समझौते के अन्तर्गत, आप भारतीय सेवा निवृत्ति पेंशन, परमानेंट टोटल डिसेबलिटी पेंशन या सर्वाइवर पेंशन की न्यूनतम आवश्यकतायें पूरी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपने निवास की अलग-अलग अवधियों और भारत में अपनी बीमा अवधियों का संयोजन कर सकते हैं। 1 जनवरी 2016 और 58 वर्ष की आयु के बीच केवल Australian Working Life Residence[2] की अवधियों को ही गिना जा सकता है।

भारतीय भुगतानों के बारे में सभी निर्णय भारतीय पेंशन अधिकारियों द्वारा ही लिए जाते हैं। भारतीय भुगतानों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, आपको भारतीय पेंशन अधिकारियों[3] से संपर्क करना चाहिए।

मैं अनुरोध कैसे कर सकता हूँ?

अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो:

- इस समझौते के अन्तर्गत ऑस्ट्रेलियाई Age Pension हेतु अनुरोध करने के लिए **humanservices.gov.au/international** पर जाएं या विभाग से संपर्क करें।
- एक भारतीय भुगतान के लिए अनुरोध करने हेतु, विभाग से संपर्क करें।

आप अपना सम्पूरित अनुरोध अपने निकटतम DHS Service Centre में जमा करवा सकते हैं।

अगर आप भारत में हैं तो:

- भारतीय भुगतान हेतु अनुरोध करने के लिए, भारतीय पेंशन अधिकारी से संपर्क करें
- ऑस्ट्रेलियाई भुगतान के लिए अनुरोध करने हेतु:
    - **humanservices.gov.au/forms** पर जाकर *अन्य देश से ऑस्ट्रेलियाई पेंशन अनुरोध फॉर्म* का भारतीय संस्करण डाउनलोड करें
    - विभाग से संपर्क करें, या
    - भारतीय पेंशन अधिकारी से संपर्क करें।

आप अपना सम्पूरित अनुरोध भारतीय पेंशन अधिकारी के आपके स्थानीय कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

ऑस्ट्रेलियाई भुगतानों के लिए अनुरोध 13 सप्ताह पहले तक जमा करवाये जा सकते हैं। आपको अपना अनुरोध और सभी सहायक दस्तावेज़ एक साथ जमा करवाना आवश्यक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि आपका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाए।

और अधिक जानकारी के लिए

यदि आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको हमसे संपर्क करना चाहिए[4]।

अस्वीकरण वक्तव्य

इस प्रकाशन में निहित जानकारी का उद्देश्य केवल भुगतानों और सेवाओं की एक मार्गदर्शिका उपलब्ध कराना है।

इस तथ्य पत्र में दी गई जानकारी जुलाई 2019 में एकदम सही है। अगर आप उस तिथि के बाद इस प्रकाशन का उपयोग कर रहे हैं तो, कृपया विभाग से पता कर लें कि इसमें दिया गया विवरण अप टू डेट है।

क्या मुझे एक अनुरोध जमा करवाने की जरुरत है?

जब तक आप अपना अनुरोध जमा नहीं करवा देते और आपकी परिस्थितियों पर विचार नहीं हो जाता, हम सुनिश्चित नहीं हो सकते कि आपको भुगतान मिलेगा या नहीं। यदि आप एक भुगतान के लिए आवेदन करना चाहते हैं और अपनी विशेष परिस्थितियों के बारे में निवेदन करना चाहते हैं तो इस बारे में निर्णय लेना आपकी ज़िम्मेदारी है।

भुगतान किस दिन से मिलने लगते हैं?

अधिकाँश सरकारी भुगतानों की अदायगी आवेदन पत्र लगाए जाने वाले दिन या उसके बाद से की जाती है इसलिए आप जितना जल्दी आवेदन पत्र जमा करवायेंगे, उतना जल्दी आपको भुगतान मिलने लग सकता है।

ऑस्ट्रेलियाई भुगतानों के लिए, आपको अपना अनुरोध और सभी सहायक दस्तावेज़ एक साथ जमा करवाना आवश्यक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि आपका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाए। छूट केवल तभी मिल सकती है जब आप किसी चिकित्सीय प्रमाण, वक्तव्य या किसी तीसरे पक्ष से जानकारी पाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हों।

किसी तीसरे पक्ष के साथ काम करते समय आपको क्या करना होगा?

हो सकता है कि आप किसी ऐसे तीसरे पक्ष के साथ काम करें जो हमारा कर्मचारी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो, कृपया याद रखें कि हमने किसी को भी तीसरे पक्ष के रुप में आपको भुगतानों के बारे में जानकारी या सलाह देने के लिए अधिकृत नहीं किया है।

व्याख्याएं

1. जोड़ीदार की परिभाषा	हमारे प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति को आपका जोड़ीदार माना जाएगा अगर वह व्यक्ति और आप एकसाथ रहते हैं, या सामान्यतया साथ रहते हैं; विवाहित हैं, एक पंजीकृत रिश्ते (विपरीत या सम-लिंगी) या एक डि-फेक्टो रिश्ते (विपरीत या सम-लिंगी) में हैं। यह विभाग किसी व्यक्ति को डि-फेक्टो रिश्ते में तब से मानता है जब से वे दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़े के एक सदस्य के रुप में रहना शुरु करते हैं।

	यह विभाग विपरीत-लिंगी और सम-लिंगी, सभी जोड़ों को मान्यता देता है।
2. ऑस्ट्रेलियाई निवास	'ऑस्ट्रेलियाई निवास' का मतलब है वो अवधियाँ जब आप एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या ऑस्ट्रेलियाई स्थाई वीज़ाधारक के रुप में ऑस्ट्रेलिया में रहे हों। किसी भी समय के ऑस्ट्रेलियाई निवास को, ऑस्ट्रेलियाई भुगतान पाने हेतु पात्रता प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है। 'Australian Working Life Residence' में ऑस्ट्रेलिया में निवास की केवल वही अवधि/याँ शामिल हैं जो 16 वर्ष से लेकर ऑस्ट्रेलियाई एज पेंशन की आयु के बीच के समय की हैं। भारत के साथ हुए इस समझौते के अन्तर्गत, Australian Working Life Residence में केवल 16 नवंबर 1995 के बाद का समय ही शामिल है। इस समझोते के विशेष प्रावधानों के विषय मे कुछ अन्य सीमायें भी हो सकती हैं।
3. भारतीय संपर्क विवरण	**Employees' Provident Fund Organisation, Head Office** **Bhavishya Nidhi Bhawan** **14, Bhikaji Cama Place** **New Delhi 110066** **INDIA**
4. मानव सेवायें विभाग संपर्क विवरण	**humanservices.gov.au** पर जाएं ऑस्ट्रेलिया में किसी भी स्थान से **131 673** पर फोन करें। अगर ऑस्ट्रेलिया के बाहर से फोन करना हो तो, Department of Human Services, International Services को सोमवार से शुक्रवार सवेरे 8.00 बजे से शाम 5.00 बजे (AEST) के बीच **Freecall™ 000 800 61 01098** पर सीधे फोन करें। हो सकता है कि यह सेवा भारत में सभी स्थानों से उपलब्ध नहीं हो। अगर यह सेवा उपलब्ध नहीं हो तो, Department of Human Services को **+61 3 6222 3455** पर फोन करें। फोन करने के ऊपर दिए गए समय के अलावा अन्य समय में, आप हमारी जवाबी सेवा पर एक संदेश छोड़ सकते हैं और हम आपको वापस फोन कर लेंगे। उस संदेश में कृपया अपना नाम, अपना Centrelink Customer Reference Number (CRN)तथा अपना फोन नंबर (राष्ट्र तथा एरिया कोड सहित) बता दें।

	टिप्पणी: कॉल पर शुल्क लगता है - मोबाइल फोन से कॉल करने पर शुल्क उच्च दर से लग सकता है। फैक्स **+61 3 6222 2799** पत्र लिखने के लिए **PO Box 7809, Canberra BC ACT 2610, Australia.**

Social Security Agreement between Australia and the Republic of India

Australia's social security system

Australia's social security system is different from that in most other developed countries. Each person's pension is paid by the Australian Government out of general funds, rather than through contributions paid by individuals and employers into a social insurance fund. For this reason, Australian pensions are income and asset tested.

The Department of Human Services delivers Australian social security payments to individuals.

You'll have to tell us about all of your—and in some instances—your partner's[1] income and assets if you want to claim an Australian pension.

How does the agreement help you?

The agreement may let you claim a payment from either country or continue to receive your payment if you move between countries. If necessary, the agreement may allow you to combine specific periods of residence in Australia[2] and specific periods of insurance in India, to help you qualify for payments from both countries.

Who can get an Australian payment?

Age Pension

If you're over the qualifying age (refer to **humanservices.gov.au/agepension** for details), you may be able to get Australian Age Pension under the agreement.

If you're not living in Australia when you make a claim, you must have a period of at least 12 months of Australian Working Life Residence[2] between 16 November 1995 and the qualifying age for Age Pension.

You may be able to get Age Pension if the total period of time you've lived in Australia at any time and/or your periods of insurance in India add up to more than 10 years. Only periods of insurance in India after 1 January 2016 may be used.

If you need to use any of your periods of insurance in India after 1 January 2016 to meet the 10 years, you must also have a period of at least 12 months (6 months continuously) of Australian Working Life Residence[2] between 16 November 1995 and age 58.

There may be additional requirements you need to meet before you can be paid.

Who can get an Indian payment?

Under the agreement, you can combine specific periods of residence in Australia and your periods of insurance in India to meet the minimum requirement for Indian Retirement Pension, Permanent Total Disability Pension or Survivor Pension. Only periods of Australian Working Life Residence[2] between 1 January 2016 and age 58 may be used.

The Indian pension authorities make all decisions about Indian payments. For more information about Indian payments, you should contact the Indian pension authority[3].

How do I claim?

If you're in Australia:

- to claim an Australian Age Pension under the agreement, visit **humanservices.gov.au/international** or contact the department
- to claim an Indian payment, contact the department**.**

You can lodge your completed claim at your nearest DHS Service Centre.

If you're in India:

- to claim an Indian payment, contact the Indian pension authority
- to claim an Australian payment:
    - download the Indian version of the C*laim for Australian Pension from another country* form from **humanservices.gov.au/forms**
    - contact the department, or
    - contact the Indian pension authority.

You can lodge your completed claim at your local office of the Indian pension authority.

Claims for Australian payments can be lodged up to 13 weeks early. You must lodge your claim and all supporting documents at the same time. If you don't do this your claim may not be accepted.

For more information

If you would like more information you should contact us[4].

Disclaimer

The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.

The information in this factsheet is accurate as at July 2019. If you use this publication after that date, please check with the department that the details are up to date.

Should I lodge a claim?

We can't be sure if you'll get a payment until you lodge a claim and your circumstances are taken into account. It's your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with regard to your particular circumstances.

From what date are the payments available?

Most government payments are paid from or after the date on which the application is made so the sooner you lodge your application, the quicker you may be paid.

For Australian payments, you must lodge your claim and all supporting documents at the same time. If you don't your claim may not be accepted. The only exceptions will be if you're waiting for medical evidence, statements or information from a third party.

What do you need to do when dealing with a third party?

You may deal with a third party who's not a member of our staff. If you do, please remember that we haven't authorised any third parties to provide information or advice to you about payments.

Notes

1. Definition of a partner	For our purposes, a person is considered to be your partner if you and the person live together, or usually live together; are married, in a registered relationship (opposite or same-sex), or in a de facto relationship (opposite or same-sex). The department considers a person to be in a de facto relationship from the time they start living with another person as a member of a couple. The department recognises all couples, opposite-sex and same-sex.
2. Australian residence	'Australian residence' means periods when you were residing in Australia as an Australian citizen or Australian permanent visa holder. Australian residence at any time is used to qualify for an Australian payment. 'Australian Working Life Residence' is the period/s of Australian residence between the ages of 16 and Australian Age Pension age only. Under the agreement with India, Australian Working Life Residence is limited to only periods after 16 November 1995. There may be other limitations for specific provisions in the agreement.
3. Indian contact details	**Employees' Provident Fund Organisation, Head Office** **Bhavishya Nidhi Bhawan** **14, Bhikaji Cama Place** **New Delhi 110066** **INDIA**
4. Department of Human Services contact details	Go to **humanservices.gov.au** Call **131 673** from within Australia. If calling from outside Australia, call the Department of Human Services, International Services direct on **Freecall™ 000 800 61 01098** between 8.00 am and 5.00 pm (AEST), Monday to Friday. This service may not be available from all locations in India. If this service is not available, call the Department of Human Services on **+61 3 6222 3455**. Outside of these times, you'll be able to leave a message with our answering service and we'll return your call. Please leave your name, your Centrelink Customer Reference Number (CRN) and your telephone number (including country and area codes). **Note:** call charges apply—calls from mobile phones may be charged at a higher rate. Fax **+61 3 6222 2799** Write to **PO Box 7809, Canberra BC ACT 2610, Australia**.